

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं
रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर
// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक 10/11/17

क्रमांक एफ 9-38/2017/तक.शि./42, "छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम 2008" के तहत माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री व्ही.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित फीस विनियामक समिति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने बैठक दिनांक 09.08.2017 को निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित एम.ई./एम.टेक. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संलग्न परिशिष्ट-ए (सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18), परिशिष्ट- बी (सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20), परिशिष्ट- सी (सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) एवं परिशिष्ट- डी (सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) के अनुसार अंतिम शुल्क का पुनरीक्षण/निर्धारण कर दिया गया है। निर्धारित शुल्क शासन द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक की समिति द्वारा कोई अन्य शुल्क निर्धारित/पुनरीक्षित नहीं कर दिया जाता। शुल्क प्रति सेमेस्टर निर्धारित/पुनरीक्षण किया गया है एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिए यही फीस लागू रहेगी।

इस संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. परिशिष्ट-ए (सत्र 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18), परिशिष्ट-बी (सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20), परिशिष्ट-सी (सत्र 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19) एवं परिशिष्ट-डी (सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20) में शामिल निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में संचालित एम.ई./एम.टेक. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के लिये लागू होगी एवं पूरे पाठ्यक्रम की अवधि के लिये यही फीस लागू रहेगी।
2. परिशिष्ट- ए, बी, सी एवं डी में अंकित अंतिम शुल्क में शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त विकास शुल्क एवं अन्य विविध शुल्क सम्मिलित है।
3. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विश्वविद्यालयीन शुल्क पृथक से लिया जा सकता है जिसे विश्वविद्यालय में नियमानुसार जमा किया जाना है।
4. कौशन मनी रु. 1500/- केवल एक बार (संस्था में प्रथम बार प्रवेश के समय) देय है जो संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य है।
5. संस्थाओं की अन्य ऐच्छिक सुविधाओं जैसे मेस, बस, छात्रावास आदि के लिये वास्तविक व्यय एवं "न लाभ न हानि" के आधार पर शुल्क ली जा सकती है।
6. ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट शुल्क तृतीय/चतुर्थ वर्ष में ही "न लाभ न हानि" के आधार पर लिया जा सकता है। यह शुल्क उसी छात्र से लिया जाना है जो कैम्पस प्लेसमेंट में शामिल होने का इच्छुक है एवं उसी सत्र में लिया जा सकता है जिस सत्र में कैम्पस प्लेसमेंट/इंटरव्यू का आयोजन किया गया हो।
7. निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं करने पर संस्था द्वारा छात्र से अधिकतम रु. 25/- प्रतिदिन की दर से विलंब शुल्क लिया जा सकता है। किसी सेमेस्टर में प्रवेश हेतु शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सेमेस्टर के प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती। विलंब शुल्क द्वितीय एवं उच्चतर सेमेस्टर में ही देय है।
8. अनुपस्थिति के लिए नियमों में प्रावधान न होने पर, संस्था छात्र से अर्थदंड/फाईन नहीं ले सकती है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के लिये फाईन अथवा अर्थदंड लेने हेतु संस्था अधिकृत नहीं है। कक्षाओं से अनुपस्थिति के संबंध में विश्वविद्यालय के प्रावधानों/निर्देशों के आधार पर ही कार्यवाही की जावेगी।

